न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नंबर 41 / 2024

निर्णय दिनांक 01.05.2024

ऑनलाईन नंबर 2024 / 103

1. खुशबु पुत्री श्री मोहनलाल जाति महेश्वरी निवासी श्रीडूंगरगढ़
2. मनीषा पुत्री श्री मोहनलाल जाति महेश्वरी निवासी श्रीडूंगरगढ़
3. रोनक पुत्र श्री मोहनलाल जाति महेश्वरी निवासी श्रीडूंगरगढ़
4. सरोजदेवी पत्नी श्री मोहनलाल जाति महेश्वरी निवासी श्रीडूंगरगढ़

—वादीगण—

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार महोदय, श्रीडूंगरगढ़, जिला बीकानेर

—प्रतिवादी—

उपस्थितिः—

1. श्री पूनमचन्द मारू अभिभाषक वादीगण
2. स्टेट की ओर से पैरोकारराज

दावा अन्तर्गत धारा 88 आरटीए

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादीगण का खेत खसरा नम्बर 1144 क्षेत्रफल 2.6400 हैक्टेयर व खेत खसरा नम्बर 1650 / 1148 क्षेत्रफल 3.0200 हैक्टेयर कुल खसरा 2 कुल क्षेत्रफल 5.6600 हैक्टेयर वाके रोही श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है। खेत खसरा नम्बर 1144 व खसरा नम्बर 1650 / 1148 की पश्चिमी पूर्वी सीमा से होते हुए खेत खसरा नम्बर 1145 कट्टाणी रास्ता की भूमि राजस्व नक्शा में अंकित है। कट्टाणी रास्ता खसरा नम्बर 1145 राजस्व नक्शा में खसरा नम्बर 1144 व खसरा नम्बर 1650 / 1148 के मध्य जहा दर्शाया गया हैं वहां से चलायमान कभी नहीं रहा है। उक्त रास्ता पिछलें 50 वर्षो से खसरा नम्बर 1136 राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 से खसरा नम्बर 1144 की पश्चिमी सीमा से 150 फीट छोड़कर दक्षिण की ओर खसरा नम्बर 1144 से होता हुआ खसरा नम्बर 1650 / 1148 में प्रवेश करता है तथा खसरा नम्बर 1650 / 1148 में पूर्वी ओर मुडकर खसरा नम्बर 1141 गैर मुमकिन रास्ता में मिल जाता है। वादीगण एवं इस रास्ता से गुजरने वाले आगे के खेतो के तमाम काश्तकार वर्षो से मौकानुसार ही उक्त रास्ता को अपने उपयोग व उपभोग में लेते आ रहें [illegible] अनुसार ही मौके पर रास्ता वर्षों से निर्बाद रूप से चला आ रहा है। राजस्व [illegible] मौका अनुसार रास्ता की भिन्नता होने से वादीगण को अपने खातेदारी कृषिभूमि का उपयोग उपभोग [illegible]काश्त इत्यादि करने में अत्यन्त ही असुविधा हो रही है। खसरा नम्बर 1145 की तरमीम मौका अनुसार किये जाने से किसी का भी हित प्रभावित नहीं होगा। वादीगण ने उक्त खेत

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.05.15 13:30:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

खसरा नम्बर 1145 गैर मुमकिन रास्ता की भूमि को राजस्व नक्शा में मौका अनुसार तरमीम करने हेतु प्रतिवादी श्रीमान् तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ़ के समक्ष दिनांक 03.01.2024 को उपस्थित होकर निवेदन किया तो प्रतिवादी ने इसे अपने क्षेत्राधिकार से बाहर की कार्यवाही बताकर मौकानुसार तरमीम करने से साफ इनकार कर दिया। यही वाद का हैतुक है। प्रतिवादी लेण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार संयोजित किया गया है। प्रतिवादी से किसी प्रकार का अनुतोष नहीं चाहा गया है फिर भी कानूनी पैचदगियों को मध्य नजर रखते हुए अलग से 80(2) सीपीसी का प्रार्थनापत्र नोटिस के अभाव में दावा प्रस्तुत करने अनुमति बाबत प्रस्तुत किया है। वादगत कृषिभूमि रोही श्रीडूंगरगढ़ में स्थित होने से दावा माननीय श्रीमान् के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार में है। अतः दावा खिलाफ प्रतिवादी निम्नप्रकार से डिक्री फरमाया जावें। (क) मौके पर खसरा नम्बर 1145 जो कि खसरा नम्बर 1144 की पश्चिमी सीमा में 150 फीट छोड़कर दक्षिण की ओर खसरा नम्बर 1144 से होता हुआ खसरा नम्बर 1650/1148 में प्रवेश करता हैं तथा खसरा नम्बर 1650/1148 में पूर्वी ओर मुड़कर खसरा नम्बर 1141 गैर मुमकिन रास्ता में मिल जाता है। अतः खसरा नम्बर 1145 गैर मुमकिन रास्ता को मौका अनुसार व नजरी नक्शा तरमीम अनुसार घोषित किये जाने की डिक्री जारी करें। (ख) अन्य कोई अनुतोष जो दौराने दावा हितकर वादीगण उत्पन्न हो को वादीगण के पक्ष में डिक्री जारी करे।

वादीगण के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से पैरोकारराज ने उपस्थित होकर जवाव दावा पेश किया। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। वादीगण अधिवक्ता द्वारा वाद में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। प्रतिवादी स्टेट की ओर से पैरोकारराज ने बहस करतें हुए कथन किया कि खसरा नंबर 1789/1444 व 1791/1650 के राजस्व नक्शा में जहां से कटाणी रास्ता खसरा नंबर 1145 दर्शाया गया वह रास्ता वहां से चलायमान नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग नं 11 के खसरा नंबर 1136 से फटकर एक रास्ता खसरा नंबर 1144 की पश्चिम सीमा से थोडा दूर दक्षिण की खसरा नं 1144 में से होकर खसरा नंबर 1791/1650 में प्रवेश करता है तथा खसरा नंबर 1791/1650 में पूर्वी और मुडकर खसरा नंबर 1141 गैरमुमकिन रास्ता मिल जाता है जो वर्तमान में चलायमान है। वर्तमान मौके पर चलायमान अनुसार खसरा नंबर 1145 रास्ता को खसरा नंबर 1789/1144 व 1791/1650 में से होकर किया जाने में आपत्ति नहीं है। [illegible] उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं दस्तावेजो का अवलोकन किया। संक्षेप में स्टेट को वादीगण वाद स्वीकार करनें में आपत्ति नहीं होने व [illegible] वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.05.15 13:30:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(... बीकानेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

निर्णय

खसरा नंबर 1145 गैर मुमकिन रास्ता की भूमि को राजस्व नक्शा में मौका अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है। नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें। पर्चो डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 01.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.05.15 13:30:40 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिकी मुकदमें इन्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री डूँगरगढ

पीठासीन अधिकारी उमा मित्तल आरएएस

1. खुशबु 2. मनीषा 3. रोनक पुत्री/पुत्र मोहनलाल 4. सरोज पत्नी मोहनलाल जाति महेश्वरी निवासी श्रीडूंगरगढ। —वादीगण—

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

— प्रतिवादी—

मुकदमा नम्बर 41/2024
दावा बाबत: घोषणात्मक
निर्णय दिनांक: 01.05.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत बहाजरी श्री पूनमचन्द मारू अधिवक्ता मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी संख्या की ओर से पैरोकारराज मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि खसरा नंबर 1145 गैर मुमकिन रास्ता की भूमि को राजस्व नक्शा में मौका अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है। नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें।
तहसीलदार, श्री डूँगरगढ तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करें।

लीज....0......मुबलिग......0........बाबत......0.........खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह...0..फीसदी सालाना आज को जारी..........तारीख वसूलयाबी.......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 01 माह 05 सन् 2024 को जारी किया गया।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी,
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	0	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3..प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस	0
4.........रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4. साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता	0	5. आदेशिका की तामिल	0
6.कमिश्नर की फीस	0	6. कमिश्नर की फीस	0
7.आदेशिका की तामिल	0		
योग	0	योग	0

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

उपखण्ड अधिकारी
श्री डूंगरगढ
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.05.15 13:30:40 IST
Reason: SelfAttested

NIC-BHUNAKSHA

राजस्थान सरकार

जिला : बीकानेर

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)

दिनांक : 26/03/2024 11:26:25 AM

पटवारी हल्का : श्रीडूँगरगढ़

तहसील : डूगरगढ़

भू. अ. नि. क्षेत्र : श्रीडूँगरगढ़

ग्राम : श्रीडूँगरगढ़

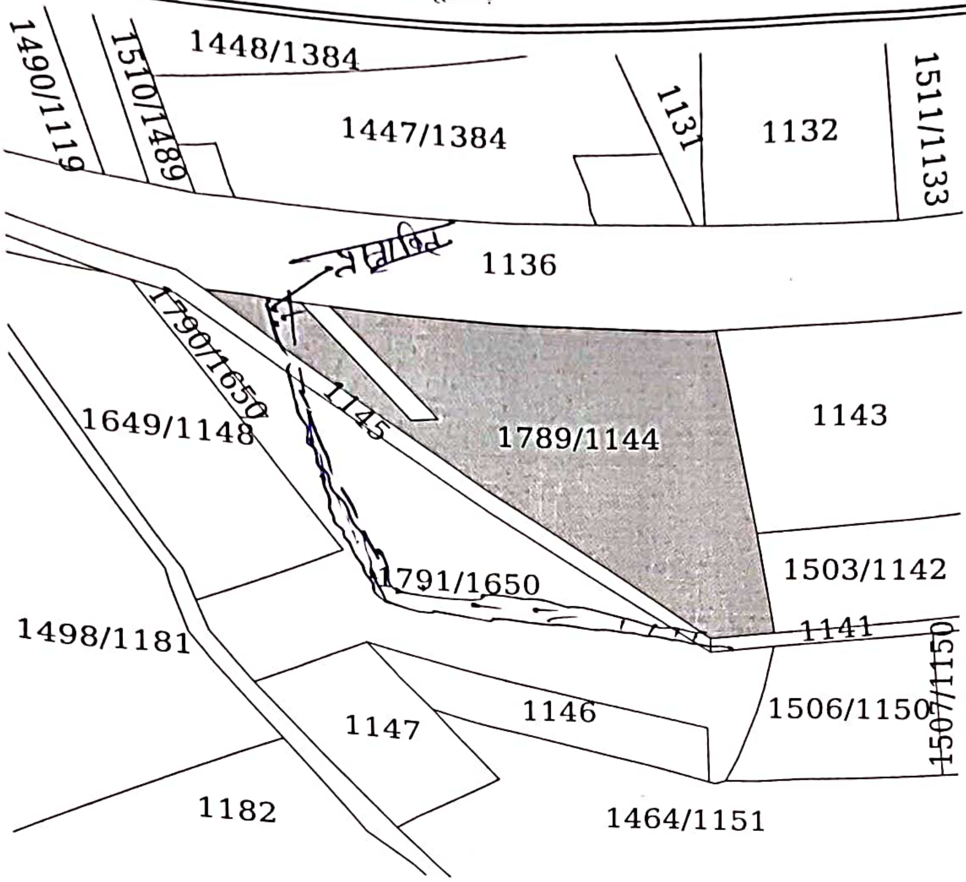

Scale 1:4000

खसरा संख्या :1789/1144 क्षेत्रफल : 2.5007 Hectare खाता संख्या : 454पुराना खाता संख्या :405

भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]:

1.) खुशबू पुत्री मोहनलाल हिस्सा- 1/4 जाति- माहेश्वरी सा. देह खातेदार
2.) मनीषा पुत्री मोहनलाल हिस्सा- 1/4 जाति- माहेश्वरी सा. देह खातेदार
3.) रोनक पुत्र मोहनलाल हिस्सा- 1/4 जाति- माहेश्वरी सा. देह खातेदार
4.) सरोजदेवी पत्नि स्व. मोहनलाल हिस्सा- 1/4 जाति- माहेश्वरी सा. देह खातेदार

पटवारी
प.ह. श्री
तहसील-श्रीडूँगरगढ़

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एंव सील

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा स
३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय से सम्पर्क करें। ULPIN no : null

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.05.15 13:30:40 IST
Reason: SelfAttested